न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. 13/2017 दर्ज दिनांक : 15.02.2017

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

–वादीगण–

बनाम

1. चिरागदीन पुत्र छगनअली जाति कलाल नि. बाडेट तहसील मलसीसर
2. सलीमा पत्नी इब्राहिम जाति तेली निवासी चूरू
3. असगर पुत्र इब्राहिम कौम तेली निवासी चूरू
4. गुलाम हुसैन पुत्र इब्राहिम कौम तेली निवासी चूरू
5. गुलाम मोहम्मद पुत्र इब्राहिम कौम तेली निवासी चूरू
6. शौकत अली पुत्रि इब्राहिम कौम तेली निवास चूरू
7. जुनिया पुत्री इब्राहिम कौम तेली निवासी चूरू
8. सबीरा पुत्री इब्राहिम कौम तेली निवासी चूरू
9. आसीया पुत्र इब्राहिम कौम तेली नि. चूरू
10. ननिया पुत्री इब्राहिम कौम तेली नि. चूरू
11. अब्दुल रहमान पुत्र करीम बक्स तेली नि. चूरू
12. जाफर पुत्र करीम बक्स तेली नि. चूरू
13. उप पंजीयक चूरू

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी पैरोकार राज अधिवक्ता वादी
प्रतिवादी श्री बजरंगलाल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए
राजस्थान काश्त. अधिनियम, 1955

: निर्णय :

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि

1. यह कि रोही ग्राम चूरू के खेत खसरा नम्बर 167 तादादी 21.15 बीघा किस्म बारानी कृषि भूमि जो राजस्व अभिलेख के अनुसार उपरोक्त अप्रार्थी सं. 01 से 12 के नाम से संयुक्त खातेदारी बारानी कृषि भूमि दर्ज है।
2. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि अप्रार्थी सं. 01 से 12 खातेदारों को राज्य सरकार जो भूमि की वास्तविक मालिक है, ने भूमि सिंचित या असिंचित रूप में फसल काश्त करने हेतु ही दी गई है, जिसे करने के लिए खातेदार पूर्णतया स्वतंत्र है व कार्यों या उपयोग में लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमो के अधीन अनुमति प्राप्त कर ही उपभोग में लिया जा सकता है।
3. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर अप्रार्थी सं. 01 से 12 खातेदार द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये ही प्राप्त अधिकारों के विपरीत अकृषि प्रयोजन हेतु समतल किया है व भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:46 IST
Reason: SelfAttested

पर प्लॉटिंग कार्य कर भूमि की प्रकृति बदल दी है जिसका उन्हो कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या प्रकरण राज्य पक्ष में बनता है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर अप्रार्थी सं. 01 से 12 खातेदारों ने बिना अधिकार के शर्तों का उल्लंघन करते हुए भूमि की किस्म व प्रकृति बदल दी है। कृषि भूमि को हानप्रद कार्य कर क्षति पहुंचाई है। हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी संख 01 से 12 को बार–बार ऐसा न करने हेतु पाबन्द करने के बावजूद प्लॉटिंग कार्य करने से नहीं रूका है व भूमि की पूर्णतः प्रकृति बदलने पर आमदा है। इस कारण अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वाा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक हो गया है। अतः सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

5. यह कि अप्रार्थी सं. 01 से 12 द्वारा मद संख्या 03 व 04 में वर्णितानुसार कृत्य करने पर विवादित भूमि को उनकी खातेदारी अधिकार से हटायी जाने योग्य हो गई है एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 12 ने उक्त भूमि से बदखल करने योग्य हो गये है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 01 से 12 को बेदखल करने व भूमि सिवाय चक राजकीय घोषित करने हेतु प्रार्थी वाद माननीय न्यायाल में पेश कर दयिा है जिसमें प्रार्थी राज्य सरकार के सफल होने की पूर्ण सींझावना है। अतः यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन नहीं किया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ती किया जाना संभवन नही होगा।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम चूरू की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 167 तादादी 21.15 बीघा किस्म बारानी कृषि भूमि पर ता फैसला वाद अप्रार्थीगण को कृषि कार्य करने, फसल काटने एवं किसी प्रकार की मौसमी पैदावार का उपभोग करने के अलावा अन्य कोई अकृषि कार्य नहीं करने तथा किसी प्रकार के आवासीय प्लॉटस का विक्रय पत्र सम्पदित नहीं करने एवं पंजीबद्ध नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फराया जावे।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 व 07 से 10 पर तामील के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय कोई उपस्थित नहीं आने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 01, 02 से 06, 11, 12 की ओर से अधिवक्ता बजरंग लालशर्मा उपस्थित हुए अप्रार्थी संख्या 01 को छोड़कर अन्य पक्षकारान की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं नहीं किया गया इसलिए इनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि

1. मद संख्या 01 प्रार्थना–पत्र में कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 167 तादादी 21 बीघा 15 बिश्वा प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की संयुकत खातेदारी में दर्ज होने के तथ्य से इन्कार नहीं है।

2. मद संख्या 02 प्रार्थना पत्र के तयि जिस प्रकार से लिखे गये है स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते हे। अप्रार्थी उतरदाता व अनरू सहखातेदारान द्वारा कृषि प्रयोजन के रू‍ से काम में लिया जा रहा है तथा वादगत भूमि का खातेदार द्वारा अकृषि प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है जराज्य सरकार द्वारा जिस प्रयोजन के लिए वादगत कृषि भूमि खातेदारान को दी गई है अनन्य रूप से वादगत कृषि भूमि कृषि प्रयोजन हेतु ही काम में ली जा रही है।

3. मद संख्या 03 के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये [illegible] नहीं अस्वीकार किये जाते है। अप्रार्थी उतरदाता व अन्य खातेदारान द्वा[illegible] मिट्टी का कटाव किया गया है तथा ना ही किसी अकृषि प्रयोजन के लिए [illegible] को समतल किया गया है तथ न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:46 IST
Reason: SelfAttested

वादगत भूमि पर कोई प्लॉटिंग की गई है तथा न ही वादगत भूमि का कोई प्रकृति बदलते हुए उपयोग किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है।

4. मद संख्या 04 प्रार्थना पत्र के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते है। जैसा कि उपर की मद के जबाब में अंकित किया गया है अप्रार्थी उतरदाता एवं अन्य सहखातेदारान द्वारा वादगत भूमि को हानिप्रद कार्य करके कोई क्षति नहीं पहूंचाई गई है। इस निमित हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी उतरदाता व अन्य खातेदारान के साथ कोई सम्पर्क नहीं किया गया है। अप्रार्थी उतरदाता व अन्य सह खातेदारान द्वारा वादगत भूमि पर प्रकृति कर प्लॉटिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है। वादगत कृषि भूमि एक मात्र कृषि प्रयोजनार्थ कार्य किया जा रहा है। वादगत कृषि भूमि एकमात्र कृषि प्रयोजनार्थ कार्य में उपयोग में ली जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के हक में कोई सुविधा का संतुलन अथवा अपूर्तीय क्षति का सिद्धान्त साबित नही है। स्थगन आदेश जारी कर दिये की अवस्था में खातेदारान को घोर असुविधा व अपूर्तीय क्षति हो जावेगी।

5. मद संख्या 05 प्रार्थना पत्र के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते है। जैसा कि उपर की मदात में अंकित किया जा चुका हैं वादगत कृषि भूमि अनन्य रूप से कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त हो रही है ऐसी स्थिति में वादगत कृषि भूमि को सिवायचक घोषित किये जाने, खातेदारान की खातेदारी हटाये जाने तथा खातेदारान को अदालतहाजा के माध्यम से बेदखल करवा लेने का प्राथी को हक व अधिकार हासिल नहीं है। प्राथी किसी भी प्रकार से अप्रार्थी उतरदाता एवं अन्य सहखातेदारान के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब बंद किया जाकर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश हेतु निवेदन किया जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर गौर किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री, राजस्व अभिलेख एवं दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि ग्राम चूरू की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 167, रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा, किस्म बारानी कृषि भूमि, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 से 12 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह भी विवादित नहीं है कि उक्त भूमि मूलतः कृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी के रूप में आवंटित है। प्रार्थी राज्य सरकार का यह कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अनुमति के कृषि भूमि को समतल कर अकृषि प्रयोजन हेतु प्लॉटिंग की जा रही है, जिससे भूमि की प्रकृति परिवर्तित की जा रही है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भूमि आवंटन की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। हल्का पटवारी द्वारा मना किये जाने के बावजूद कथित गतिविधियाँ जारी रहने का भी उल्लेख किया गया है। दूसरी ओर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आरो[illegible]डन किया गया है तथा यह कहा गया है कि भूमि का उपयोग केवल कृषि [illegible] तथा कोई प्लॉटिंग अथवा प्रकृति परिवर्तन नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड से यह तथ्य स्पष्ट है कि भूमि कृषि प्रकृति की है तथा खातेदारी अधिकार कृषि प्रयोजन तक ही सीमित हैं। यदि आरोपित गतिविधियाँ सत्य पाई जाती हैं तो यह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। अतः प्रथम दृष्टया राज्य सरकार का मामला विचारणीय प्रतीत होता है।

यदि वाद लंबित रहते भूमि की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है अथवा प्लॉटिंग एवं विक्रय की कार्यवाही होती है, तो इससे सार्वजनिक हित एवं राजस्व हित को गंभीर क्षति पहुँचेगी। वहीं, अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को केवल अकृषि उपयोग से रोका जा रहा है, कृषि कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

भूमि की प्रकृति परिवर्तित हो जाने पर उसे पुनः कृषि योग्य बनाना कठिन होगा तथा राज्य सरकार को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति संभव नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधिक सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण को अस्थाई संरक्षण प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा संख्या 167, रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा, ग्राम चूरू की मौका एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति ता फैसला दावा बनाये रखें तथा वाद के निस्तारण तक उक्त वादगत भूमि पर कृषि कार्य, फसल बोने–काटने एवं मौसमी पैदावार के उपभोग के अतिरिक्तकोई भी अकृषि गतिविधि, भूमि की समतलीकरण, प्लॉटिंग, आवासीय अथवा वाणिज्यिक प्लॉटों का विक्रय, किसी भी प्रकार का विक्रय पत्र निष्पादन या पंजीकरण न करें।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(सुनील कुमार–I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:46 IST
Reason: SelfAttested